


10/10/20  
03/01/2025

पत्रावली अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत  
प्रकार कावत् पत्रावली तत्काल आज ही  
सुनवाई करने पर आज पेश हुयी। अधिवक्ता  
अपीलान्त ने निवेदन किया कि उम्मा अनवान  
प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय  
होने से उम्मा अपील चलाने योग्य नहीं है। अतः  
पत्रावली जरिये Not Press खोजाव करमाये।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अपलोडन किया। अधि.  
अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाकर उम्मा अपील जरिये Not - Press खोजाव  
की जाती है। पत्रावली इसी मुद्राधिक विहित  
की जाकर फैसल सुनाव होना सम्भव से कम है।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

Not Press  
  
31/01/2025